



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
[Corporate Identity Number (CIN) : U40109RJ2000SGC016485]
Regd. Office: VidyutBhawan, Jyoti Nagar, Jaipur -302005
(AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED COMPANY)



No.: RVPN/CAO(P&F)/AAO/F&R/F.2(X)/D. 126

RVPN-F&R No.: 1365
JAIPUR, Date: 12.10.2020

ORDER

The Chairman and Managing Director in consultation with Director (Finance) is pleased to adopt directions of the Addl Chief Secretary, (Finance), Finance Department, GoR for deduction of salary from the Gross Salary for the month of September-20 and onwards issued vide letter No. प. 3(1)वित्त-1(1)/आ.व्यय./2004 पार्ट-1 (copy enclosed) for all the employees of RVPN.

Accordingly, it is hereby directed to all concerned authorities to make deductions from the gross salary for the month of Sept.2020 & onwards, as under:-

क्र. स.	सेवा का नाम	कटौत दिवस
1	अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी (नियमित/ प्रशिक्षु)	दो दिवस
2	केंद्र सेवा के समस्त अधिकारी (नियमित/ प्रशिक्षु)	दो दिवस
3	राज्य सेवा के समस्त अधिकारी (नियमित/ प्रशिक्षु)	दो दिवस
4	निगम सेवा के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी (नियमित/ प्रशिक्षु)	एक दिवस

No deduction is to be made from the salary of Class-IV, Helper-II and employees drawing pay in the pay level L-1 to L-4.

All drawing and disbursing authorities are directed to ensure compliance of above instructions and deducted amount with full details be sent to the Sr. Accounts Officer (EA-Cash) for depositing the same in the Rajasthan Chief Minister's Relief Fund.

This is in supersession to all the orders/circulars issued in this regard.

By Order,


(Sourabh Bhatt)

Chief Accounts Officer (P&F)

Copy to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control:-

1. The Secretary (Admn.), RVPN, Jaipur.
2. The Chief Controller of Accounts, RVPN, Jaipur.

3. The Chief Engineer (PP&D/IT/Procurement/MPT&S/NPP&RA/LD/Contracts), RVPN, Jaipur.
4. The Zonal Chief Engineer (T&C), RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
5. The Zonal Chief Engineer (Civil), RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
6. The Chief Personnel Officer, RVPN, Jaipur.
7. The Jt. Director (Corporate Affairs) cum Company Secretary, RVPN, Jaipur.
8. The Controller of Internal Audit, RVPN, Jaipur.
9. The Chief Accounts Officer (A/Cs & W&M/P&C/PP&D/P&F-Cont./EA-Cash), RVPN, Jaipur.
10. The Regional Chief Accounts Officer, Jaipur/Ajmer/Jodhpur Zone, RVPN.
11. The Joint Legal Remembrancer, RVPN, Jaipur.
12. The Superintending Engineer (), RVPN, Jaipur.
13. The Incharge, Data Centre, RVPN, 101, Vidyut Bhawan, Jaipur.
14. The Dy. Controller of Accounts (P&F), RVPN, Jaipur.
15. The Sr. Accounts Officer (), RVPN, Jaipur.
16. The Accounts Officer (), RVPN, Jaipur.
17. PS to CMD, RVPN, Jaipur.
18. PS to Director (Finance/Technical/Operations), RVPN, Jaipur.
19. Public Relation Officer, RVPN, Jaipur.
20. Office Order/Master File.


Asstt. Accounts Officer (F&R)

Note: Orders are also available on the Nigam's website www.rvpn.co.in

क्रमांक: प.3(1)वित्त-1(1)/आ.व्यय./2004 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 08 सितम्बर, 2020

समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलेक्टरों सहित)

विषय :- कोविड-19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन (Gross Salary) से कटौति किये जाने हेतु।

महोदय,

कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 108/2020 दिनांक 03.09.2020 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में माह सितम्बर, 2020 देय अक्टूबर, 2020 के सकल वेतन (Gross Salary) से प्रतिमाह निम्नांकित अनुसार कटौति की जावेगी :-

क्र. सं.	सेवा का नाम	कटौति दिवस
1.	अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी (नियमित/प्रशिक्षु)	दो दिवस
2.	केन्द्र सेवा के समस्त अधिकारी (नियमित/प्रशिक्षु)	दो दिवस
3.	राज्य सेवा के समस्त अधिकारी (नियमित/प्रशिक्षु)	दो दिवस
4.	राज्य के अन्य समस्त अधिकारी एवं कार्मिक (नियमित/प्रशिक्षु)	एक दिवस

यह आदेश राज्य के समस्त निगम, बोर्ड, आयोग, स्वायत्तशास्र संस्था, उपक्रम, सहकारी समितियों इत्यादि पर भी लागू होगा।

उक्त आदेश निम्न पर लागू नहीं होगा:-


1. राजस्थान उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश एवं पदस्थापित समस्त अधिकारी/कार्मिक।
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदस्थापित समस्त अधिकारी एवं कार्मिक।
3. पुलिस कांस्टेबल, पुलिस विभाग।
4. राज्य सरकार के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वे कर्मचारी जो वेतनमान L-1 से L-4 की श्रेणी में वेतन आहरित कर रहे हैं।

उपरोक्तानुसार कटौति की गई राशि बजट मद-8448-स्थनीय निधियों की जमा, 120-अन्य निधियां, (07)-राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष, [10]-कोविड वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों की सहायतार्थ में जमा की जायेगी।

संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु वेतन से कटौति की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पृथक से कटौती विवरण पत्र सलग्न किया जायेगा। संबंधित कोषागार द्वारा उक्त मद में जमा की गई राशि को संकलित किया जाकर उसी माह में सचिवालय कोष को स्थानान्तरित किया जावेगा।

संकलित राशि की सूचना कोषाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर को भिजवाई जायेगी।

भवदीय,



(निरंजन आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

क्रमांक प.3(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2004 पार्ट-1

दिनांक : सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता तथा शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उनके अधीन सोसायटीज/स्थानिय निकाय/स्वायत्तशाषी संस्थाओं आदि के संबंध में भी उपरोक्तानुसार आदेश जारी करवाने का श्रम करें।
6. शासन सचिव, मंत्रिमण्डल, सचिवालय को मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 108/2020 दिनांक 03.09.2020 की अनुपालना में प्रेषित है।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को आई.एफ.एम.एस.-पे मैनेजर पर कटौति हेतु आवश्यक प्रावधान कराये जाने हेतु।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. उप शासन सचिव, राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य के समस्त बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम के संबंध में भी उपरोक्तानुसार आदेश जारी करवाने का श्रम करें।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वेतन बिलों से की गई कटौति से बजट मद 8448-120-(07)-[10] में जमा राशि उसी माह में कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के पी.डी. खाते में जमा कराने हेतु हस्तान्तरित करेंगे।


शासन सचिव, वित्त (बजट)